

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी  
जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 134/2019

प्रार्थी

अप्रार्थी

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लूणी बनाम कमला पुत्री जेटूलाल बलाई वगैरान्

किस्म मुकदमा- अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर एक्ट 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तानील में जारी हुए
11.11.2019	तहसीलदार लूणी के द्वारा प्राप्त भू.अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत जमावन्दी में मौजूदा खसरो को राजस्व नक्शों में दर्ज खसरो से वन-टू-वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरो में रेकॉर्ड, मौका व नक्शे में भिन्नता आ रही हैं यथा किसी सरकारी खसरे में से कई खातेदारों को पूर्व में गे.मु.वाड़ा एवं अन्य किस्म के छोटे-छोटे रकबे के खसरे आवंटित किये गये जिनका नामान्तरण पूश्ट कर नजरी नक्शा आवंटन व आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं है जिनकी दिशा व स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। अतः ऐसे खसरे को मूल खसरे में एकीकरण के प्रस्ताव हल्का पटवारी बसानी बाघेला मय अनुशंषा भू.अ.निरीक्षक गुड़ा विश्नोईयां एवं तहसीलदार लूणी से प्राप्त हुये, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मूल प्रस्ताव अनुसार (DILRMP) के तहत रेकॉर्ड में एकीकरण कर रेकॉर्ड दुरुस्ती करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
लूणी (जोधपुर) राज.